ग्रा. प्र.

—2—

टी०ए० मिस केस सं० 32/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13.06.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **जन्डोए देवगम, पिता— स्व० नथनियल देवगम,** निवासी ग्राम— **मतकमहातु,** थाना— **मुफस्सिल,** जिला— पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा— **तमाड़बाँध,** थाना नं०— **125** के अन्दर खाता नं०— 132, प्लॉट नं०— 468, 473, **क्रमशः रकवा— 0.06+0.02¾ कुल रकवा— 0.08¾ एकड़** भूमि क्रेता **किता मोहन बारी, पिता— स्व० पचाय बारी,** निवासी ग्राम— **बड़ा खुन्टा,** थाना— **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक— 391, दिनांक— 08.06.19 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू—खण्ड को क्रेता **किता मोहन बारी, पिता— स्व० पचाय बारी,** निवासी ग्राम— **बड़ा खुन्टा,** थाना— **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास **3,70,000.00/— (तीन लाख सत्तर हजार रूपये)** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू—सम्पति प्रयाप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **जन्डोए देवगम, पिता— स्व० नथनियल देवगम,** निवासी ग्राम— **मतकमहातु,** थाना— **मुफ्फसिल,** क्रेता **किता मोहन बारी, पिता— स्व० पचाय बारी,** निवासी ग्राम— **बड़ा खुन्टा,** थाना— **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल **3,70,000.00/— (तीन लाख सत्तर हजार रूपये)** में मौजा— **तमाड़बाँध,** थाना नं०— **125** के अन्दर खाता नं०— 132, प्लॉट नं०— 468, 473, **क्रमशः रकवा— 0.06+0.02¾ कुल रकवा— 0.08¾ एकड़** जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 13/6/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner